(ग) सरकार का विचार उपरोक्त अनुदेशों का पालन करते हुए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को कब तक पूरा करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस विभाग में "ख" समूह के पदों की सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग और "ग" समूह के पदों की सीधी भर्ती अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। आरक्षित रिक्तियों सहित सभी रिक्तियों की सूचना निरपवाद रूप से इन एजेन्सियों को दी जाती है लेकिन अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी आरक्षित रिक्तियां इस विषय पर स्थाई अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित मान ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों ने जिन्हें इन पदों के नियुक्ति प्रस्ताव दिये गये थे, अपनी अनिच्छा प्रकट की और कुछ अन्य मामलों में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों ने कुछ समय के बाद त्यागपत्र दे दिये। परिणामस्वरूप विभाग में इस समय अनुसूचित जनजातियों के केवल 3 कर्मचारी हैं। तथापि अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए कोटे को यथाशीघ्र पूरा करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा परियोजना के अन्तर्गत कटिहार (बिहार) में भूमि का अर्जन किया जाना

4341. **श्री युवराज** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कटिहार (बिहार) में भूमि का अर्जन किया गया था और यदि हां, तो कब और कितनी लागत पर;

(ख) क्या कटिहार बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ एक औद्योगिक नगर है;

(ग) क्या गत वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा परियोजना के निर्माण आदि के खर्च के लिए 10.46 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी; और यदि हां, तो उसमें से अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(घ) कटिहार में कर्मचारी राज्य बीमा परियोजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) जी हां, अक्तूबर, 1963 में 77,347.63 रु० की लागत पर।

(ख) जी नहीं, जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन का संबंध है।

(ग) कटिहार में 6 डाक्टरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए 25–3–1975 को 12.10 लाख रुपये के प्लान और प्राक्कलन मंजूर किये गये। तथापि अभी तक राज्य सरकारों से धन रिलीज करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह योजना कटिहार में 15–12–1957 से पहले ही लागू है।